संख्या-22/2015/943/26-3-2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 31 मार्च,2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत नवनिर्मित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (इन्टरमीडियट स्तर तक) के संचालन हेतु साज-सज्जा के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 में रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2401/स0क0/विकास/2015, दिनांक-30-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-15/2015/855/26-3-2014 दिनांक 30-03-2015 द्वारा नवनिर्मित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु साज-सज्जा के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल धनराशि रूपया-7,66,86,000/-रूपया सात करोड़ छाछठ लाख छियासी हजार मात्र) की स्वीकृत प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति धनराशि को कोषागार से आहरित करके प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ (पूर्व नाम उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम) के पी0एल0ए0 में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि उक्त धनराशि वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही आहरित की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-604/दस-2015 दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या-22/2015/943/(1)/26-3-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/मुख्यकोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट,कैसरबाग लखनऊ।
3 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ
4 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5 प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ।
6 निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7 गार्डफाइल इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।